

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
(भू-अर्जन निदेशालय)

-: **अधिसूचना** :-

पत्र सं० ..... ५५७ /२०

सिवान दिनांक...../...../२०१३

चूंकि बिहार सरकार को प्रतीत होता है कि मौजा- कोथुआ सारंगपुर, थाना नं०- 585, थाना- सिवान, परगना- बारा, जिला- सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् महादलित बस्ती में जाने हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु राजस्व विभाग, बिहार सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा- कोथुआ सारंगपुर, थाना नं०- 585, के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम-बेस 0.44 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिसूचित खेसरा निम्न प्रकार है :- खेसरा नं० 1388, 1391, 1392, 1393, 1374, 1373, 1372, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1289, 1290, 1291, 1292, 1283, 1284, 1285, 1271, 1144, 1143, 1109, 1110, 1387, 1386, 1385, 1384, 1375, 1376, 1377, 1340, 1343, 1344, 1282, 1277, 1276, 1272, 1102, 1108, 1092 सभी अंश।

**अधिसूचित भूमि की चौहद्दी**

उत्तर - 1110, 1092 अंश,

दक्षिण - सड़क।


पूरब - 1108, अंश, 1102 अंश, 1273, अंश, 1277, 62, अंश, 1340, अंश, 1385 अंश।

पश्चिम- 1144 अंश, 1271 अंश, 1372 अंश, 1392 अंश, 91 अंश।

यह अधिसूचना भू अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार भू-अर्जन अधिनियम II सन् 1984 के सुधार के अनुसार संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है। सरकारी भूमि पाये जाने पर हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।


चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम कि धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

  
समाहर्ता,  
सिवान।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०  
सरकार के अवर सचिव  
बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सिवान को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।